भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-837

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली का आबंटन

837. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या के आधार पर बिजली आवंटित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है/कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत का आवंटन अप्रैल, 2000 से विद्युत के आवंटन हेतु फॉर्मूला, जिसे दिशा-निर्देश के रूप में माना जाता है, के अनुसार किया जाता है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन दो भागों नामत: 85 प्रतिशत का स्थायी आवंटन और तत्काल/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवंटन हेतु 15 प्रतिशत अनावंटित विद्युत में किया जाता है।

स्थायी आवंटन में प्रभावित राज्यों को 12 प्रतिशत मुफ्त विद्युत और जल विद्युत स्टेशन के मामले में स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु 1 प्रतिशत और ताप एवं न्यूक्लियर विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10 प्रतिशत (प्रदत्त) विद्युत शामिल है।

शेष (जल विद्युत के मामले में 72 प्रतिशत और ताप एवं न्यूक्लियर के मामले में 75 प्रतिशत) विद्युत केंद्रीय योजना सहायता और पिछले पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के पैटर्न के अनुसार, दोनों कारक समान भार रखते हैं, क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित की जाती है। केंद्रीय योजना सहायता गड़गिल फॉर्मूला के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसमें राज्य की जनसंख्या पर भी ध्यान दिया जाता है। संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी भागीदारी करने वाले राज्य अपनी इक्विटी भागीदारी के अनुसार स्थायी आवंटन में लाभ लेते हैं।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन हेतु उक्त वर्णित दिशा-निर्देश ऐसे उत्पादन स्टेशनों पर जिनके लिए पीपीएज़ पर 05 जनवरी, 2011 तक हस्ताक्षर किए गए हैं और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जिनके लिए दिनांक 15.08.2022 तक पीपीएज़ पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, लागू होते हैं।

दिनांक 05 जनवरी, 2011 के बाद, वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत की खरीद की जाएगी।

एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में, केंद्रीय सरकार ने जनवरी, 2011 में 'गृह' राज्य को विद्युत के 50 प्रतिशत आवंटन, भारत सरकार के निपटान के अधीन 15 प्रतिशत अनावंटित विद्युत और केंद्रीय योजना सहायता और पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा ऊर्जा खपत को समान भार देते हुए विद्युत आवंटन संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर उस क्षेत्र के अन्य घटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को 35% आवंटन का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन को नई परियोजनाओं के संबंध में जनवरी, 2011 में उसी तरह की व्यवस्था के प्रावधान भी किए गए हैं।

****